राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1905 / 2010 / जयपुर.
2. अपील संख्या – 1946 / 2010 / जयपुर.
3. अपील संख्या – 1947 / 2010 / जयपुर.
4. अपील संख्या – 1948 / 2010 / जयपुर.
5. अपील संख्या – 1428 / 2011 / जयपुर.

मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
एफ–549, रोड़ नं0 6, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या – 2121 / 2011 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
एफ–549, रोड़ नं0 6, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

मूल निर्णय दिनांक : 12 / 01 / 2016
संशोधित आदेश दिनांक : 19 / 02 / 2016

आदेश

उक्त सभी अपीलों में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 12.01.2016 को संयुक्त निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय जारी होने के पश्चात यह त्रुटि ज्ञात होने पर कि निर्णय के पृष्ठ 2 के पैरा 4 पर अंकित तालिका में कर निर्धारण आदेश दिनांक एवं अवधि के कॉलम में कुछ त्रुटियां हो गयी हैं, अतः तालिका को संशोधित किया जाकर, निम्न प्रकार पढ़ा जावे :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अवधि	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
1905 / 10	12.07.2010	19.12.2008	2006–07	8,60,315 + 54,108	2,33,682 + 11,363	—
1946 / 10	03.09.2010	13.10.2009	2007–08	14,31,103	3,43,465	28,62,206
1947 / 10	03.09.2010	07.01.2010	2008–09	21,71,095	3,25,664	43,42,190
1948 / 10	03.09.2010	07.01.2010	2009–10 (I & II Qtr.)	14,54,727	1,01,831	29,09,454
1428 / 11 2121 / 11	18.05.2011	08.09.2010	2009–10 (III & IV Qtr.)	21,81,804	1,74,544	43,63,608

इसी प्रकार पृष्ठ 14 के पैरा 23 की पंक्ति 6 में त्रुटिवश **"कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उक्त दायित्व का निर्वहन करने में पूर्णतया सफल रहे हैं......"** अंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए निम्न प्रकार पढ़ा जावे :–

"कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उक्त दायित्व का निर्वहन करने में पूर्णतया असफल रहे हैं......"

लगातार..............2

1–6. अपील संख्या–1905, 1946, 1947, 1948 / 10 एवं 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर.

उक्तानुसार अपील संख्या 1905, 1946, 1947, 1948, / 2010 व 1428 व 2121 / 2011 / जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2014 संशोधित किया जाता है। संशोधन आदेश की प्रति सभी पत्रावलियों पर रखी जावे एवं पक्षकारों को प्रेषित की जावे।

19-02-2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य